संख्या-45/2023/I295032/2023/010-71-2099-263-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2-निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट /2022-23/863, दिनांक 20.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में हृदय रोग संस्थान, लखनऊ हेतु असाध्य रोगों के ईलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्गत बी0एम0-9 प्रपत्र दिनांक 28.03.2023 (बी0एम0-9 संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
2. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे।
3. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त/नियंत्रक का होगा।
6. धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-45/2023/I295032/2023/010-71-2099-263-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर।
6. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20222023-002-71-2099-263-2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में असाध्य रोगों के ईलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
031	2210051050370 (सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोयडा की स्थापना)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	45,78,00,000 रुपये पैंतालीस करोड़ अठहत्तर लाख मात्र	15,26,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ छब्बीस लाख मात्र	9,75,48,000 रुपये नौ करोड़ पचहत्तर लाख अड़तालीस हजार मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	44,78,00,000 रुपये चवालीस करोड़ अठहत्तर लाख मात्र	2022-2023
कुल					₹ 9,75,48,000	₹ 1,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050368 (आसाध्य रोगो के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,10,00,00,000 रुपये एक अरब दस करोड़ मात्र	9,75,48,000 रुपये नौ करोड़ पचहत्तर लाख अड़तालीस हजार मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,11,00,00,000 रुपये एक अरब ग्यारह करोड़ मात्र	2022-2023
कुल				₹ 9,75,48,000	₹ 1,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2022.23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेज्युएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद-31- सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) में रू0 100.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

हृदय रोग संस्थान, कानपुर में असाध्य रोगों के ईलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष की लम्बित देयता के भुगतान हेतु आवश्यक है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-636-E-3-617-X-2022-23-दिनांक:25-03-2023

सेवा में,

महालेखाकर
(ए0 एण्ड ई0)
उ0प्र0 प्रयागराज

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव

(पवित्र कुमार)
विशेष सचिव

संख्या:-81/2023/002-71-2099-263-2021, दिनांक-28 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर।
6. संस्थान के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)

अनु सचिव